न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 133 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बाबुलाल पुत्र मांगीलाल जाति बावरी निवासी चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली।		1. चेनाराम पुत्र मंगाराम जाति बावरी निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली राज0।
2. पदमसिंह पुत्र भीमसिंह जाति बावरी निवासी चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली।		2. तहसीलदार (भूमिधारक) तहसीलदार सोजत
3. सीतादेवी पत्नी भीमसिंह जाति बावरी निवासी चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 20/11/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चण्डावल नगर तह0 सोजत के ख.नं. 2297 रकबा 1.2800 है0 की प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की पड़ौस में खसरा संख्या 2298, 2298/2596 अप्रार्थी सं0 01 खातेदारी कृषि भूमि आई हुई स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने तत्कालीन खातेदार रूपाराम, मोटाराम पिता आसुराम, भूरी देवी बेवा आसुराम जाति मेघवाल निवासी चण्डावल नगर वालो से खरीद की है। दिनांक 02/10/1983 को आपसी सहमति से लिखापढी करते हुये प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 2297 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण संख्या 01 के खसरा संख्या 2298 व 2298/1 के दक्षिणी दिशा में गुड़ा बच्छराज की सरहद पर लगती हुई सीमा पर 4 गट्टा चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय मांगीलाल पुत्र शिवदान बावरी एवं खसरा संख्या 2298 के तत्कालीन खातेदार रूपाराम, मोटाराम पिता आसुराम, भूरी देवी बेवा आसुराम जाति मेघवाल निवासी चण्डावल नगर वाला के बीच मे आपसी सहमति से लिखापढ़ी कर 4 गट्टा चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए दिया एवं उक्त 4 गट्टे चौडे रास्ते की भूमि के एवज मे प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पुत्र श्री शिवदान ने उनके आवंटन सुदा कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2298/2596 की भूमि उनको दी गई और उनके नाम वर्तमान मे खातेदारी दर्ज करवा दी गई है और मौके पर रास्ता नापकर छोड़ दिया जो मौके पर आज भी कायम है और उक्त लिखत दिनांक 02/10/1983 से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे उक्त रास्ते से आवागमन करते है। उक्त रास्ते को वादपत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में मार्क ABCD लाल रंग की लकिरो से दर्शाया गया है। जो वादग्रस्त रास्ता है। जो नजरी नक्शे का वादपत्र का भाग है। खसरा संख्या 2298/2596 को तत्कालीन खातेदारान ने वादग्रस्त रास्ते की एवज में प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल से लेकर उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया एवं वादग्रस्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का आश्वासन देते रहे और कहते रहे की मोके पर तारबन्दी कर रास्ता छोड़ रखा है और मोके पर कब्जा सौप रखा है और प्रार्थीगण की फाटक मौके पर लगी हुई है वो किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करेंगे। इस प्रकार प्रार्थीगण वादग्रस्त रास्ते आवागमन करते आ रहे है। खसरा संख्या 2298 व 2298/1, 2298/2596 की कृषि भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 01 चेनाराम ने खरीद किया तब बेचान रजिस्ट्री में वादग्रस्त रास्ते को छोड़े बिना ही पुरी भूमि का बेचान अपने नाम करवाकर राजस्व रेकर्ड मे संपूर्ण रकबे का अपने नाम नामान्तरण करवा दिया है, जबकि वादस्थ रास्ते को बेचान हस्तान्तरण करने का तत्कालीन

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बेचान करने वाले को कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण संख्या 01 चेनाराम द्वारा उनकी खरीद की गई कृषि भूमि व नदी की भूमि में अवैध बजरी खनन करने पर उसकी शिकायत प्रार्थीगण द्वारा करने पर अप्रार्थीगण संख्या 01 नाराज होकर उसके पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से हुई बेचान रजिस्ट्री के आधार पर प्रार्थीगण के वादग्रस्त रास्ते को बन्द करने एवं आवागमन करने में दखल अन्दाजी करने की एलानियां धमकी देता है। अप्रार्थीगण संख्या 01 वादग्रस्त रास्ते को भविष्य में किसी प्रकार से बन्द नहीं करे एवं प्रार्थीगण के आवागमन में दखल अन्दाजी नही करे इसलिए उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाया वादग्रस्त रास्ता मार्क ABCD को बन्द नहीं करे एवं वादग्रस्त रास्ते मे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा अवरोध एवं दखल अन्दाजी पैदा न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य नोकर एजेन्ट आदि से करावे तथा बेचान हस्तान्तरण नही करे। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाई रखे जाने का निवेदन किया है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर में खसरा नंबर 2298, 2298/2596 की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है। जिस कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 चेनाराम एवं उसके परिवारजन का ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है, जो कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा तत्कालिन खातेदार रूगाराम, मोटाराम पिसरान आसुराम वगैरा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, वक्त खरीद से अप्रार्थी संख्या 1 का बहैसियत खातेदार का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि दिनांक 02/10/1983 को आपसी सहमति से लिखापढ़ी के कथन गलत मिथ्या एवं झूठे वर्णित किये है जबकि अप्रार्थीगण के तत्कालिन खातेदार के द्वारा ऐसी कोई लिखापढ़ी प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल के पक्ष में निष्पादित नही की है यदि ऐसी कोई लिखापढ़ी की जाती तो अवश्य ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री में उसका उल्लेख अवश्य होता जिससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की नियत खराब हो जाने से फर्जी एवं कूटरचित लिखत का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि को हड़प करने की नियत से गलत रूप से खसरा नंबर 2298 एवं 2298/1 के दक्षिणी दिशा की तरफ गुड़ाबच्छराज की सरहद की तरफ रास्ता होना वर्णित किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वक्त खरीद एवं उसके पूर्व से मौके पर प्रार्थीगण द्वारा बताया गया ऐसा कोई रास्ता मौके पर कायम नहीं रहा तथा प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि उक्त चार गट्टे चौड़े रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण के पिता मांगीलाल उनके आवटंनसुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 2298/2597 की भूमि उनको दी गयी और उनके नाम वर्तमान में खातेदारी दर्ज करवा दी गयी और यह लिखना भी गलत है कि मौके पर रास्ता नाप कर छोड़ दिया जो मौके पर आज भी कायम है तथा यह लिखना भी गलत है कि उक्त लिखत दिनांक 02/10/1983 से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे उक्त रास्ते से आवागमन करते है प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा बनाकर उसमे गलत रूप से ए, बी, सी, डी लाल रंग से रास्ते को दर्शाया है जबकि मौके पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है बल्कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा, कब्जासुदा भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा मौके से विपरित बनाकर प्रस्तुत किया हैं। पद में प्रार्थीगण द्वारा तमाम तथ्य गलत एवं मिथ्या वर्णित किये है, जबकि स्वयं प्रार्थीगण की भूमि के खसरा नंबर 2297 के चिपते ही खसरा नंबर 2295 आयी हुई स्थित है जो कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अन्य सह खातेदारान की आयी हुई स्थित है, उक्त खसरा नंबर 2295 के चिपते ही खसरा नंबर 2294 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि आयी हुई स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 2294 जो कि नेशनल हाईवे से जुडता है तथा उक्त प्रार्थीगण खसरा नंबर 2294 में से होते हुए खसरा नंबर 2295 में आवागमन कर खसरा नंबर 2297 में कदीमी से रास्ते का उपयोग उपभोग करते आये है तथा इसी अनुसार मौके पर रास्ता आज भी कायम है तथा खसरा नंबर 2297 में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 2295 में प्रार्थीगण की स्वयं की

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

फाटक लगी हुई है तथा इसी रास्ते पर प्रार्थीगण एवं इनके पूर्वज आवागमन करते रहे है। प्रार्थीगण द्वारा झूठे व मिथ्या तथ्यों के साथ मात्र अप्रार्थी सं0 01 को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पेश किया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा विशेष उजरात में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता स्व. मांगीलाल जी के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 के तत्कालिन खातेदारान द्वारा दिनांक 02/10/1983 को लिखत निष्पादन होने के आधार पर न्यायालय में घोषणा हेतु वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में तथाकथित लिखत फर्जी एवं कूटरचित है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त लिखत दिनांक 02/10/1983 के आधार पर कभी भी सक्षम सिविल न्यायालय मे उक्त लिखत की पालना हेतु कोई कार्यवाही आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्व के खातेदारान के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की है और न ही उसका कोई स्पष्ट कारण वाद व प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया है तथा उक्त तथाकथित लिखत एक अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्पित दस्तावेज है जो कि साक्ष्य में अग्राहय है ऐसे दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से वाद एवं प्रार्थना पत्र काबिले खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्व के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्व के खातेदारान वाद पत्र व प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु आवश्यक पक्षकार थे प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर पक्षकारो का अंसयोजन एवं कुसयोजन कर वाद प्रस्तुत किया गया है जिस कारण से प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र काबिले खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत से पूर्व इस न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 चेनाराम के विरूद्ध अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में एक राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 251 के तहत प्रस्तुत किया है जो प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में विचाराधीन है जिस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा नया मार्ग होना वर्णित कर गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में रास्ते हेतु मांग की गयी है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तुत वाद भी रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा एक ही भूमि के सबंध में एक ही अनुतोष हेतु दो अलग अलग कार्यवाही कानूनन पोषणीय नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध वर्जित होने से काबिले खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02/10/1983 की लिखत के आधार पर करीब 40 वर्ष पश्चात उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो वाद व प्रार्थना पत्र कानूनन म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष उजरात पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 02 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 01 के पूर्व खातेदारान व प्रार्थीगण के पिता के मध्य दिनांक 02.10.1983 को आपसी सहमति की लिखत के आधार पर प्रार्थीगण को ख.नं. 2298 व 2298/1 के दक्षिणी मांठ से होकर रास्ता हेतु कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता को आवंटित खसरा नंबर 2298/2596 के बदले दी गई थी। जिसे अप्रार्थी सं0 01 उक्त रास्ते को बंद करने व उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी कर बेचान व अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा है, जिसे ताफैसला मूल वाद निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने निवेदन किया कि वादस्थ भूमि अप्रार्थी सं0 01 की खरीदसुदा कृषि भूमि है, जिसका वह रेकर्डेड खातेदार हैं। किसी भी रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में तनकियात कायम कर दस्तावेजी साक्ष्यो सबूतों के आधार पर बाद विवेचन एवं विश्लेषण गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मारिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 20/9/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मारिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत